उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

संख्या-87/2015/3501/92-1-2015-51(अधि0)/2014,

लखनऊ: दिनांक: 29 जुलाई, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

श्री अशोक कुमार, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किये जाने के अनुतोष के साथ मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका सं0-869(एस0बी0)/2014 योजित की गयी, जिसे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुए आदेश दिनांक 19-6-2014 पारित किया गया, जो निम्नवत है :-

> '' Heard learned counsel for the petitioner and the learned standing counsel appearing for respondent.
> Despite time being granted to the learned standing counsel, necessary instructions have not been received.
> Having regard to the facts and circumstances of the case and without entering into the merit we hereby provide that the petitioner's candidature shall be considered in the ensuing selection for promotion to the post of Superintending Engineer in accordance with the relevant Rules, particularly Rule 5 (2) of the Uttar Pradesh Rural Engineering (Group 'A') Service Rules, 1991 as has been referred to by the learned counsel for the petitioner.
> With the above direction, writ petition is disposed of. ''

2- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में याची श्री अशोक कुमार की अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने हेतु कार्यालय-ज्ञाप सं0-60रिट/92-1-2015-51(अधि0)/2014, दिनांक 22-6-2015 द्वारा विभागीय चयन समिति का गठन किया गया तथा उक्त चयन समिति की बैठक दिनांक 03-7-2015 को आहूत कर याची के प्रकरण पर विचार किया गया। चयन समिति द्वारा दिनांक 19-12-2013 को आहूत की गयी विभागीय चयन समिति की बैठक से सम्बन्धित अभिलेखों, याची श्री अशोक कुमार के सेवा अभिलेखों/ब्राडशीट एवं सुसंगत सेवानियमों के अन्तर्गत विचार करने के उपरान्त पाया गया कि :-

(1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में अधीक्षण अभियंता के रिक्त 05 पदों पर पदोन्नति किये जाने हेतु पूर्व में विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 19-12-2013 को आहूत की गयी थी। उक्त चयन में अधीक्षण अभियंता के रिक्त 05 पदों के सापेक्ष नियमानुसार रिक्तियों की संख्या का तीन गुना अर्थात् निम्नलिखित 15 अधिशासी अभियंताओं (पोषक संवर्ग) के नाम पात्रता सूची (Eligibility List) में सम्मिलित किये गये थे :-

क्र0सं0	अधिशासी अभियंता का नाम	वरिष्ठता क्रमांक	अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति की तिथि
1	**2**	**3**	**4**
1	श्री अरूण कुमार अग्रवाल	12	14-01-87
2	श्री प्रदीप कुमार त्रिवेदी	63	14-01-87

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव	66	14-01-87
4	श्री पृथ्वी राज राय	67	14-01-87
5	श्री माधव सक्सेना	73	14-01-87
6	श्री जगदीश प्रसाद	123	28-01-95
7	श्री शिव लाल	124	28-01-95
8	श्री सुरेश चन्द्र	125	28-01-95
9	श्री अशोक कुमार	126	28-01-95
10	श्री दिनेश कुमार	130	28-01-95
11	श्री राम चन्द्र	131	08-02-95
12	श्री शिव प्रसाद राम	132	08-02-95
13	श्री विजय कुमार	134	08-02-95
14	श्री राजेन्द्र प्रसाद	135	26-06-2001
15	श्री रूपेश कुमार वर्मा	136	11-10-2002

(2) तत्समय चयन समिति द्वारा पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या-2608/2011 में दिनांक 27-4-2012 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के सन्दर्भ में निर्गत कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-4/1/2002टीसी-1/का0-2-2012, दिनांक 08-5-2012 में दिये गये निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता सूची के क्रमांक-123 से 136 पर अंकित अनुसूचित जाति के अधिशासी अभियन्ताओं को, जिनके नाम पात्रता सूची में सम्मिलित थे, को विचार में न लेते हुए मात्र वरिष्ठता सूची के ज्येष्ठता क्रमांक-12 से 73 पर अंकित अधिशासी अभियन्ताओं (अनारक्षित श्रेणी) की प्रोन्नति के सम्बन्ध में ही विचार करते हुए पात्रता सूची के क्रमांक-3, 4 तथा क्रमांक-5 के समक्ष उल्लिखित अनारक्षित श्रेणी के अधिशासी अभियन्ताओं को अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति किये जाने की संस्तुति की गयी थी।

(3) सिविल अपील सं0-2608/2011 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-4-2012 द्वारा पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता का लाभ समाप्त कर दिया गया है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुक्रम में कार्मिक अनुभाग-2 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-4/1/2002टीसी-1/का-2/2012, दिनांक 08-5-2012 एवं सपठित शासनादेश दिनांक 13-5-2012 द्वारा पदोन्नति के अवसर पर पृथक-पृथक 03 पात्रता सूचियों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग) के स्थान पर यथा ज्येष्ठता, एकल पात्रता सूची का निर्माण करते हुए पदोन्नति की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अतः आरक्षित श्रेणी के ऐसे कार्मिक जो पूर्व में पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता का लाभ पाकर पदोन्नत हुए हैं को अगले उच्चतर पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता क्षेत्र में तभी सम्मिलित किया जा सकता है, जब सेवा के मूल पद की ज्येष्ठता के आधार पर एकल पात्रता सूची में इन्हें सम्मिलित किये जाने का अवसर उत्पन्न होता हो।

(4) याची श्री अशोक कुमार पदोन्नति में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर अधिशासी अभियन्ता के पद पर अपने से ज्येष्ठ सहायक अभियन्ताओं से पहले ही पदोन्नत हुए हैं तथा एकल पात्रता सूची के आधार पर उनका नाम पात्रता क्षेत्र में नहीं आता है। सहायक अभियन्ता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2001 के ज्येष्ठता क्रमांक-73 तक (ज्येष्ठता क्रमांक-12 एवं 63 को छोड़कर) के अधिशासी अभियन्ताओं की अधीक्षण अभियन्ता पद पर नियमित पदोन्नतियां हुई हैं तथा याची से वरिष्ठ ज्येष्ठता क्रमांक-74 से 125 तक के अधिशासी अभियन्ताओं की अधीक्षण अभियन्ता पद पर अभी पदोन्नति नहीं हुई है। दिनांक 09-12-2013 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में याची का नाम मात्र सेवा नियमावली में विहित अर्हकारी सेवा पूर्ण करने के आधार पर सम्मिलित किया गया था क्योंकि तत्समय ज्येष्ठता सूची में ज्येष्ठ अभियन्ता अर्हकारी सेवा पूर्ण नहीं करते थे। इस कारण से पात्रता क्षेत्र में ज्येष्ठ अभियन्ताओं का नाम न सम्मिलित होने के कारण तत्समय प्रस्तुत की गयी पात्रता सूची त्रुटिपूर्ण थी। इसी कारण विभागीय चयन समिति द्वारा तत्समय उनके नाम पर विचार नहीं किया गया था।

3- उपरोक्त तथ्यों, संगत नियमों एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में सम्यक विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक19-6-2015 के समादर में गठित तथा 03-7-2015 को सम्पन्न बैठक में विभागीय चयन समिति द्वारा निम्नवत् संस्तुति की गयी :-

"मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-869(एस0बी0)/2014 में पारित आदेश दिनांक 19-6-2014 के अनुपालन में चयन समिति द्वारा याची श्री अशोक कुमार की अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में विचार किया गया । मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 27-4-2012 एवं तदक्रम में निर्गत कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 08-5-2012 एवं सपठित शासनादेश दिनांक 13-5-2012 के निर्देशानुसार पदोन्नति हेतु एकल पात्रता सूची में ज्येष्ठ कार्मिक को छोड़ते हुए कनिष्ठ कार्मिक को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में श्री अशोक कुमार का नाम ज्येष्ठता क्रमांक-126 पर अवस्थित है। उक्त ज्येष्ठता सूची के ज्येष्ठता क्रमांक-73 तक (क्रमांक-12 एवं 63 को छोड़कर) के अधिशासी अभियन्ताओं की अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हो गयी है, किन्तु श्री अशोक कुमार से वरिष्ठ 28 अधिशासी अभियन्ताओं की पदोन्नति अभी तक अधीक्षण अभियन्ता के पद पर नहीं हुई है।अत: एकल पात्रता सूची में पात्रता के क्षेत्र में कनिष्ठ कार्मिक याची श्री अशोक कुमार नहीं आते हैं। अत: चयन समिति इनकी अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की संस्तुति नहीं करती है।"

4- इस प्रकार मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-869(एस0बी0)/2014 में पारित आदेश दिनांक 19-6-2014 के अनुक्रम में विभागीय चयन समिति का गठन करते हुए याची श्री अशोक कुमार की अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति किये जाने पर विचार किया गया। विभागीय चयन समिति द्वारा दिनांक 09-12-2013 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत पात्रता सूची में याची का नाम त्रुटिवश सम्मिलित होने तथा एकल पात्रता सूची के आधार पर पात्रता क्षेत्र में याची श्री अशोक कुमार के न आने के दृष्टिगत उन्हें अधीक्षण अभियन्ता पद पर पदोन्नति किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी। अत: याची श्री अशोक कुमार की अधीक्षण अभियन्ता के पद पर सम्प्रति पदोन्नति किया जाना सम्भव नहीं है।

मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त सन्दर्भित आदेश् दिनांक 19-6-2014 के अनुपालन में याची श्री अशोक कुमार की अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति किये जाने पर सम्यक् विचारोपरान्त एतद्द्वारा उपरोक्तानुसार स्वत: स्पष्ट आदेश (Self speaking and reasoned order) पारित किया जाता है।

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 87 /2015/3501(1)/92-1-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।